डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:–181/11 जीसीएमएस नं. 2011/201 दायर दिनांक:– 03.11.2011

उनवान

1. गोपाल सिंह
2. श्रीगोपाल
3. श्रमनलाल
4. रामौतार

पुत्र बालगोविंद जाति जाट निवासी सौमलरात्रा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. रामनिवास
2. श्रवण कुमार

पुत्र गिल्हराया जाति जाट निवासी सौमलरात्रा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

3. एसबीबीजे बैंक शाखा सूरौठ तामील जरिये शाखा प्रबंधक
4. क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरौठ
5. बालगोविन्द पुत्र भगवत जाति जाट निवासी सौमलरात्रा तह0 हिण्डौन जिला करौली
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलैक्टर करौली।
7. तहसीलदार हिण्डौनसिटी

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इनद्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नं0 181/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि साबिक खातेदार समन्दर ने दिनांक 07.03.1989 को सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भूअभिलेख अधिकारी हिण्डौन मुख्यालय भरतपुर को रकवा कमी पुर्ति हेतु दर0 दी/अपील की गई जिस पर भूप्रबन्ध विभाग ने दिनांक 05.08.1989 को भूमि की पूर्ति करते हुए साबिक खातेदार को खसरा नं0 226 में 4 ऐयर भूमि बढाकर उक्त निर्णय की पालना कराकर खातेदारी (जमाबन्दी) में इन्द्राज पूर्व में ही हो चुका है इस प्रकार से एक निर्णय की पुनः विधि के अनुसार पालना नहीं कराई जा सकती, ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है, चूंकि प्रकरण में वादी व वादी वकील द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं [illegible] जमावंदी व नक्शा सीट में अन्तर है एवं अगर वादी को मौके पर भूमि [illegible] वादी नियमानुसार सक्षम राजस्व अधिकारी के यहां पैमाईश करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत [illegible] तारीख .27.03.2024..को डिकी जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:26 IST
Reason: SelfAttested

27/03/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Scanned with CamScanner